जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.)

क्र/प्रशा./ 90 दुर्ग दिनांक 10.04.2026

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.दुर्ग में सीधी भर्ती के 04 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेजों के सत्यापन की विस्तृत सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति क्र./छ.ग.मुख्यालय/नवा रायपुर क्रमांक 2167 दिनांक 15.09.2023 (प्रकाशन दिनांक 16.09.2023) एवं अपेक्स बैंक के वेबसाइट में अपलोड की गई विस्तृत सूचना क्रमांक छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र./2190'अ' दिनांक 16.09.2023 के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में उप प्रबंधक (प्रोग्रामर) के पद पर सीधी भर्ती के निम्नानुसार कुल 04 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा दिनांक 07.09.2025 को आयोजित किया गयाः–

क्र.	सेवा/पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	उप प्रबंधक (प्रोग्रामर)	04

उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 02.02.2026 को घोषित किया गया। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग–1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित किये है, उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा (भाग–2 एवं भाग–3) में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट सूची का प्रकाशन, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के वेबसाईट https://vyapam.cgstate.gov.in पर किया गया है।

अतः जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के 04 पदों पर भर्ती हेतु **लिखित परीक्षा परिणाम में उप प्रबंधक (प्रोग्रामर) की सूची** में आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निम्नानुसार आमंत्रित किया जाता हैः–

क्र.	पदनाम	सूची में क्रमांक	दिनांक	समय	स्थान
1	उप प्रबंधक (प्रोग्रामर)	01 से 20	30.04.2026	11 बजे से	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.) प्रधान कार्यालय सभा भवन, शासकीय अस्पताल के सामने, जी.ई.रोड दुर्ग

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपरोक्त उल्लेखित तिथि एवं स्थान पर निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व उपस्थित होवें। उक्त दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन फार्म में दर्ज किये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी एवं बैंक के वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा। यदि दस्तावेजों के परीक्षण हेतु उपरोक्त उल्लेखित तिथि पर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते है तो उन्हें चयन हेतु अपात्र माना जायेगा।

...2

दस्तावेजों के परीक्षण में अपात्र पाये जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को ही दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य निर्देश बैंक की वेबसाईट में प्रकाशित की जायेगी। अंतिम रुप से पात्र पाये गये अभ्यर्थियों (01 पद के लिए 03 पात्र अभ्यर्थी) को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसकी सूचना पृथक से जारी की जायेगी।

संलग्नः– दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्देश।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.)

दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्देश

उप प्रबंधक (प्रोग्रामर) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता की जांच हेतु आयु, सीमा, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

उपरोक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन हेतु निम्नानुसार दस्तावेजों की मूलप्रति तथा अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति (पृथक–पृथक 02 सेट) मान्य होगीः–

(1) बैंक द्वारा प्रेषित सूचना पत्र।
(2) ऑन लाईन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति।
(3) जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तवेज जैसेः– जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (10+2) प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो।
(4) आधार कार्ड एवं निवास के पते के सत्यापन के संबंध में प्रमाण–पत्र।
(5) नवीनतम रंगीन 04 फोटोग्राफ, पहचान पत्र सहित।
(6) बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/अंकसूची की मूल प्रति।
(7) आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
(8) अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र।
(9) उम्मीदवार यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम/मण्डल/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/स्वशासी संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(10) अन्य ऐसे प्रमाण पत्र/दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता हो।

दस्तावेजों के सत्यापन में अभ्यर्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मोबाईल, लैपटॉप एवं अन्य गैजेट्स रखने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत विज्ञापन में वर्णित पदवार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य शर्ते पूरी नहीं करने की स्थिति पर अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जावेगा, तदनुसार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग